भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

सार्वजनिक सूचना सं. 22 (आर ई-2010)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक: 11 अक्तूबर, 2012

विषयः प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I और विदेश व्यापार नीति के तहत परिशिष्टों के अन्तर्गत लागत लेखाकारों द्वारा विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-I) एवं परिशिष्ट, 2009-14 में जनहित में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. जब कभी "सनदी लेखाकार" शब्द आएगा तो इसे "लागत लेखाकार" समझा जाएगा और इसे भी इसमें शामिल माना जाएगा। इसी प्रकार जब भी "एफसीए" शब्द का सनदी लेखाकार के लिए उपयोग किया गया हो तो इसे लागत लेखाकर के लिए "एफसीएमए" शब्द समझा जाएगा और इसे इसमें शामिल माना जाएगा।

2. "सीए संख्या" शब्दों को प्रतिस्थापित कर "सदस्यता संख्या" पढ़ा जाएगा।

3. "लागत एवं निर्माण लेखाकार" शब्दों को प्रतिस्थापित कर "लागत लेखाकार" पढ़ा जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः- निर्यात आयात नीति और प्रक्रिया के तहत जब कभी किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता होगी तो निर्यातक लागत लेखाकर द्वारा भी किए गए प्रमाणन को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा.सं.01/94/180/468-परिशिष्ट/एएम12/पीसी-4 से जारी)